न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) झांसीरोड़ जिला ग्वालियर (म0प्र0)

प्र.क्र.–33 / 2016–17 / अ 2 एस.डी.ओ.
प्र.क्र.– / 2017–18 / 59 ओ.एस.डी.

मध्यप्रदेश शासन ....आवेदक

बनाम

राहुल सांस्कृत्यान शिक्षा एवं अनुसंधान
चेरीटेवल समिति सचिव मनीषा गोस्वामी
पत्नी देवकीनन्दन गोस्वामी नि. आर–8
यूनिवर्सिटी केम्पस ग्वालियर
.....अनावेदक संस्था

// आदेश //

(पारित दिनांक 21/07/2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी ग्रम सालूपुरा राजस्व वृत्त–महलगांव द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59(2), 172 के तहत यह प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व ग्राम पिपरौली के भूमि सर्वे नम्बर 230/2 मेसे रकवा 0.418 हे. यानी 4180 वर्गमीटर भूमि पर अनावेदक राहुल सांस्कृत्यान शिक्षा एवं अनुसंधान चेरीटेवल समिति सचिव मनीषा गोस्वामी पत्नी देवकीनन्दन गोस्वामी नि. आर–8 यूनिवर्सिटी केम्पस ग्वालियर द्वारा बिना शैक्षणिक पुनःनिर्धारण कराये "स्कूल बनाकर" शैक्षणिक उपयोग किया जा रहा है। जिसके विरूद्ध पुनःनिर्धारण की कार्यवाही की जावे।

प्रकरण इस न्यायालय मे दर्ज किया जाकर अनावेदक संस्था को सूचना पत्र निर्वाह कराया गया। प्रकरण मे विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओ.एस.डी.) डायवर्सन से पुनः निर्धारण गणना पत्रक पर प्रस्ताव मंगाया गया।

ओ.एस.डी. डायवर्सन द्वारा पुनःनिर्धारण कर प्रतिवेदित किया है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बिना शैक्षणिक पुर्ननिर्धारण कराये, शैक्षणिक गतिविधियॉ बर्ष 2017–18 से संचालित की जा रही है। ग्राम पिपरौली की गाईड लाइन बर्ष 2017–18 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का बाजारू मूल्य 1,32,00,000/–रूपये प्रति हेक्टर होना बताया है। इसके अनुसार प्रश्नाधीन रकवा 4180 वर्गमीटर का बाजारू मूल्य 55,17,600/–रूपये है। जिसके आधार पर धारा 59 के तहत निम्नानुसार पुनः निर्धारण प्रस्तावित किया गया है।

कमॉक	मद	राशि
1	2	3
1	बर्ष 2017–18 का एवं बार्षिक पुनःनिर्धारण	11,036.00
2	प्रीमियम (बाजारू मूल्य का 1 प्रतिशत)	55,176.00
3	अर्थदण्ड (बाजारू मूल्य का 2 प्रतिशत)	1,10,564.00
	योग	**1,76,564.00**

अनावेदक संस्था द्वारा नोटिस के संबंध मे उपस्थित होकर दस्तावेज एवं जबाव प्रस्तुत किये, जो प्रकरण मे संलग्न किये गये।

अतः ओ.एस.डी. (डायवर्सन) के प्रस्ताव से सहमत होकर ग्राम पिपरौली के भूमि सर्वे नम्बर 230/2 मेसे रकवा 0.418 हे. यानी 4180 वर्गमीटर भूमि पर, बिना अनुमति शैक्षणिक उपयोग करने से अनावेदक संस्था राहुल सांस्कृत्यान शिक्षा एवं अनुसंधान चेरीटेवल समिति 2

अनुविभागीय अधिकारी
झांसी रोड क्षेत्र, ग्वालियर

Scanned by CamScanner

सचिव मनीषा गोस्वामी पत्नी देवकीनन्दन गोस्वामी नि. आर–8 यूनिवर्सिटी केम्पस ग्वालियर पर निम्नानुसार शैक्षणिक दर से पुनःनिर्धारण धारा 59(2), 172(4) के तहत किया जाता है :–

कमॉक	मद	राशि
1	2	3
1	बर्ष 2017–18 का एवं बार्षिक पुनःनिर्धारण	11,036.00
2	प्रीमियम (बाजारू मूल्य का 1 प्रतिशत)	55,176.00
3	अर्थदण्ड (बाजारू मूल्य का 2 प्रतिशत)	1,10,564.00
	योग	**1,76,564.00**

अनावेदक संस्था को बी–नोटिस जारी हो। अनावेदक संस्था अधिरोपित राशि 1,76,564/– रूपये 7 दिवस में जमा करे, अन्यथा की स्थिति मे उक्त अवधि के पश्चात रूपये 1000/– प्रतिदिन के मान से अतिरिक्त शास्ती अधिरोपित करते हुये म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(5) के अतर्गत कार्यवाही की जावेगी। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण "बी"–1 मे दर्ज हो। प्रकरण दायरा से खारिज हो। प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु अधीक्षक भू–अभिलेख (डायवर्सन) को वापस हो।

(आर.के.पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग, झॉसीरोड ग्वालियर

पृ.कमॉक:– एस.डी.ओ. प्र.क.–33/2016–17/अ 2 ग्वालियर दिनॉक:–

प्रतिलिपि:–

1. अनावेदक संस्था राहुल सांस्कृत्यान शिक्षा एवं अनुसंधान चेरीटेवल समिति सचिव मनीषा गोस्वामी पत्नी देवकीनन्दन गोस्वामी नि. आर–8 यूनिवर्सिटी केम्पस ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. पटवारी ग्राम महलगॉव की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आर.के.पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग, झॉसीरोड ग्वालियर

Scanned by CamScanner